

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

कीर्तसीन अधिकारी:- श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 92/18

1- श्रीगती कमला देवी व/० श्री मन्ना लाल सुगार निवासी- गाण्डल, तहसील- गाण्डल-  
प्राथीगण

वनाम

1- श्री हीरालाल व/० श्री काना गाडरी- निवासी- गाण्डल, तहसील- गाण्डल [कॉरा]  
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक:- 20.4.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गाण्डल पटवार हल्का गाण्डल तहसील मांडल/करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं. 7939, 7940, 7941, 7942 कुल किता 04 रकबा 02 बीघा 06 विस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं हाने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5.4.18 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिवक्तर अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फैरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उवात पटवार हल्का उवात तहसील मांडल/करेडा में स्थित आराजी नम्बर उवात कुल किता उवात रकबा उवात बीघा उवात विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गाण्डल को 300/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल/करेडा भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल/करेडा भीलवाड़ा